5)

राजस्थान सरकार

समाज कल्याण विभाग

क्रमांक एफ13( )सा.सु./सकवि/व.ना.बोर्ड/2002/24218 जयपुर दिनांकः-5.6.2002

# आदेश

भूमण्डलीकरण अर्थव्यवस्था के विस्तार होने तथा संयुक्त परिवार के विघटन से समाज में एकाकी परिवार प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला जिसका सामाजिक ताने-बाने के सुव्यवस्थित ढांचे जिसमें परिवार के मुखिया को जो सम्मानजनक स्थान था, वह कम होता गया, आम नागरिक की औसत आयु में भी पहले की अपेक्षा वृद्धि होने से एक काफी बड़ा हिस्सा वरिष्ठ नागरिकों का है जिनके लिए शक्ति संवर्द्धन करना तथा उनके जीवन में गुणात्मक सुधार लाना मुख्य उद्देश्य भावी समाज के बेहतर निर्माण एवं कल्याण के लिए न केवल आवश्यक है, बल्कि समय की मांग भी है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा उनमें विश्वास कायम करने की दृष्टि से राजस्थान राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड का गठन किया जाना है। इसका लक्ष्य वरिष्ठ नागरिकों की सृजनात्मक प्रतिभाओं का उपयोग करके सरकार, गैर सरकारी संगठनों तथा समुदाय की क्षमता के निर्माण में जागरूकता पैदा करना एवं सहायता प्रदान करना, वयोवृद्धों के प्रति बच्चों और युवाओं को संवेदनशील बनाना, वयोवृद्धों की विशेष देखभाल करने और ध्यान रखने की भारतीय परम्पराओं को सुदृढ़ बनाना तथा स्वयं वृद्धों को अपने अधिकारों एवं हितों के संरक्षण योग्य बनाने के उद्देश्य से स्वयंसेवी समूहों में गठित होने की प्रेरणा देना तथा व्यवस्था करना है।

**परिभाषा** :

समाज के वयोवृद्ध जो अपने जीवन के व्यतीत हुए समय में सक्रिय रहकर अपने उद्देश्य एवं लक्ष्यों की ओर निरन्तर प्रयासों के साथ लगे रहे तथा राष्ट्र एवं परिवार निर्माण में सृजनात्मक सोच की भावना के साथ जिन्होंने 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो इस कार्यक्रम के केन्द्र में होंगे। विशेष रूप से वृद्ध जो दुर्बल एवं कमजोर हो निराश्रित व परित्यक्त हों तथा विधवा स्त्री भी इसमें शामिल होंगी।

वयोवृद्धों के जीवन की अपूर्णता कम करने, गुणवत्ता में वृद्धि करने की दृष्टि से परिवार और समुदाय के लिए लक्षित व्यापक हस्तक्षेपों की ओर ध्यान रखते हुए वृद्धों के वैधानिक अधिकारों को समाज में सुदृढ़ बनाते हुए ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रयास करना जिसमें वृद्ध व्यक्ति अपने जीवन के उत्तरार्ध में शांति व सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करें। अतः निम्नानुसार **"राजस्थान राज्य वरिष्ठ नागरिक बोर्ड"** का गठन किया जाता है।

**संरचना**

1. **अध्यक्ष-** माननीय मुख्यमंत्री महोदय
2. **उपाध्यक्ष -** मंत्री/राज्यमंत्री, समाज कल्याण
3. **कार्यकारी अध्यक्ष** - राज्य सरकार द्वारा मनोनीत

**गैर सरकारी सदस्य :**

4. वरिष्ठ विधायक – दो
5. एक संभाग स्तर का प्रतिनिधि।
6. वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से जुड़ी स्वयंसेवी संस्थाओं के दो प्रतिनिधि (एक महिला हो सकती है)।
7. ~~अवकाश प्राप्त राजकीय अधिकारियों के संगठन के दो प्रतिनिधि।~~
8. दो सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता।
9. एक सदस्य चिकित्सा संकाय से (अवकाश प्राप्त चिकित्सक)।
10. राज्य मानवाधिकार आयोग से एक प्रतिनिधि।
11. एक वरिष्ठ सदस्य विधि सेवा/व्यवसाय से।

**सरकारी सदस्य :**

12. दो संभागीय आयुक्त।
13. अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह)/ प्रमुख सचिव, गृह विभाग।
14. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
15. प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
16. शासन सचिव, आयुर्वेद विभाग।
17. शासन सचिव, स्वायत्त शासन/ शहरी विकास एवं आवास विभाग
18. शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग।
19. शासन सचिव, परिवहन विभाग।
20. शासन सचिव, जन सम्पर्क विभाग।
21. शासन सचिव, समाज कल्याण विभाग।
22. शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग।
23. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
24. प्राचार्य, एस.एम.एस. मेडीकल कॉलेज, जयपुर।
25. निदेशक, समाज कल्याण विभाग – **सदस्य सचिव**

**कार्य :**

1. वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों के विषय में सरकार को परामर्श देना।
2. सरकार को वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनी राष्ट्रीय नीति के क्रियान्वयन तथा उनके संबंध में विशेष रूप से बनाये गए कार्यक्रमों के संबंध में अवगत कराना।
3. वृद्धों के हितों का ध्यान रखना व पैरवी करना।
4. वृद्धों के प्रति परिवार के सदस्यों की प्रतिबद्धता तथा क्षमता को सुदृढ़ तथा सशक्त करना।
5. पीढ़ियों के संबंधों में आत्मीयता व प्रगाढ़ स्नेह का पोषण करना।
6. वृद्धों से संबंधित समस्याओं के संबंध में अधिक जागरुकता उत्पन्न करना तथा इनके निराकरण हेतु उपायों को खोजना।
7. वृद्धावस्था के लिए जीवन पर्यन्त तैयारी आरम्भ करने की आवश्यकता की धारणा को व्यैक्तिक व सामाजिक स्तर पर विकसित करना।
8. वयोवृद्धों के स्वास्थ्य की देखभाल, आवास और आय सुरक्षा की आवश्यकता का संवर्धन करना।

9. निराश्रित वृद्धों की देखभाल की व्यवस्था करना।
10. स्थानीय निकायों/राज्य सरकार, गैर सरकारी संगठनों तथा शैक्षणिक/अनुसंधान व अन्य संस्थाओं की वृद्ध व्यक्तियों से संबंधित मामलों से जुड़ी क्षमताओं को सुदृढ़ करना।

**प्रस्तावित कार्यक्रम :**

1. वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल करने के लिए परिवार की क्षमता और प्रतिबद्धता को सशक्त व सुदृढ़ करने के लिए कार्यक्रम निर्माण।
2. अन्तर-पीढ़ी संबंधों, विशेष रूप से बालकों/युवाओं और वयोवृद्धों के बीच के संबंधों को मधुर और मजबूत बनाने संबंधी कार्यक्रम।
3. वृद्धावस्था के लिए जीवन पर्यन्त तैयारी आरम्भ करने की आवश्यकता के महत्व पर बल तथा योगदान देने वाले कार्यक्रमों का निर्धारण करना।
4. वृद्धों के अधिकारों एवं हितों के संरक्षण की दृष्टि से स्वयं सहायता समूह/ वृद्धों के लिए समितियों के गठन के लिए कार्यक्रम बनाना।
5. वयोवृद्धों के स्वास्थ्य की देखभाल एवं सुधान लाने की दृष्टि से प्रशिक्षित व्यक्तियों/ पेरा मेडीकोज़ को विकसित करना।
6. वयोवृद्धों की विशेष रूप से निराश्रित वृद्धों की आवासीय आवश्यकताओं की ओर विशेष ध्यान देने वाले कार्यक्रमों का निर्धारण।
7. वयोवृद्धों विशेष रूप से कृषि व अनौपचारिक कार्यों से जुड़े व ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों की आय संबंधि आवश्यकताओं के संवर्धन को लक्ष्य में रखकर कार्यक्रम बनाना।
8. वृद्धजनों की संस्थागत तथा गैर संस्थागत रूप से देखभाल/सेवा करने की व्यवस्था संबंधी कार्यक्रम बनाना।
9. आयु वृद्धि (Ageing) के क्षेत्र में आने वाले परिवर्तनों, विशेष आवश्यकताओं की पैरवी करना, इस संबंध में जागरूकता लाना।
10. आयु वृद्धि (Ageing) के क्षेत्र में शोध, प्रशिक्षण एवं documentation तथा
11. वयोवृद्धों के हितों को देखते हुए अन्य लाभप्रद कार्यक्रमों का निर्माण करना।
12. वरिष्ठ नागरिको की राय एवं अनुभव का राज्य के समग्र विकास में सहयोग लिया जाना।

**सदस्यों का कार्यकाल एवं शर्तें :**

1. बोर्ड के गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा।
2. गैर सरकारी सदस्यों को बोर्ड की बैठक में आने पर प्रतिदिन के हिसाब से 250/- रुपये बैठक के दिवस का निर्धारित मानदेय एवं वास्तविक यात्रा व्यय दिया जावेगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा।

5/6/2002
शासन सचिव

54

क्रमांक एफ13( )सा.सु./सकवि/व.ना.बोर्ड/2002/24219-36 जयपुर दिनांकः– 5-6-2002

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1.सचिव महामहिम राज्यपाल राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव,(प्रथम/द्वितिय) मुख्य मंत्री महोदय राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग।
4. विशिष्ठ सहायक/निजि सचिव, मंत्री/राज्य मंत्री समाज कल्याण विभाग।
5. निजि सचिव मुख्य सचिव महोदय।
6. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
5. प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
7. शासन सचिव, आयुर्वेद विभाग।
8. शासन सचिव, स्वायत शासन/शहरी विकास एवं आवास विभाग।
9. शासन सचिव, परिवहन विभाग।
10.शासन सचिव जनसम्पर्क विभाग।
11.शासन सचिव, समाज कल्याण विभाग।
12.शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग।
13.निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
14.प्राचार्य एस.एम.एस. जयपुर।
15.निदेशक, समाज कल्याण विभाग।
16.आदेश पत्रावली।

शासन उप सचिव

C:\C.Opr\CAO\Raj state Senior Citizens Wel Board.doc